

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./15/डी- ८१०

दिनांक:- २-११-१५

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 120वीं बैठक दिनांक: 27.10.15 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "विन्तन सम्म कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		120:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 113वीं बैठक दिनांक 11.09.15 के कार्यवाही विवरण की पुस्ति एवं बैठक 113वीं से 119वीं की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। सरकार के पास स्वीकृति/मार्गदर्शन हेतु लम्बित प्रकरणों में स्मरण पत्र जारी करने एवं सूची सम्बन्धित उपलब्ध कराने की भी निर्देश उपायुक्तों को दिए। एलपीसी की 103वीं में "अनुमोदित एवं स्वीकृत आवासीय योजना में आदिति क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हो जाने के प्रकरणों पर पूर्व में जारी आदेशों को अतिलंघित करते हुये यह निर्णय लिया गया कि मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत अथवा 10 वर्गमीटर तक दोनों में से जो भी अधिक हो, के बढ़े हुये क्षेत्रफल की नियमन की कार्यवाही संबंधित उपायुक्त द्वारा आरक्षित दर की दुगुनी दर पर राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकेगा। संबंधित उपायुक्त द्वारा इसका अनुमोदन आगामी एलपीसी बैठक में कराया जावे। इससे अधिक बढ़े क्षेत्रफल के प्रकरणों में आवंटन की कार्यवाही भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया" था। जिसमें 112वीं बैठक में "जो भी अधिक हो" के स्थान पर "जो भी कम हो" पढ़े जाने का संशोधन किया गया था। चूंकि भूखण्डों में छोटे क्षेत्रफल बढ़े जाने के बहुत अधिक प्रकरण एलपीसी के सम्बन्ध आते हैं। जिसमें समिति का काफी समय लगता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल में 20 प्रतिशत अथवा 20 वर्गमीटर तक दोनों में से जो भी कम हो के बढ़े हुये क्षेत्रफल के नियमन की कार्यवाही, आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा आरक्षित दर की दुगुनी दर पर राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा सकेगी। इससे अधिक क्षेत्रफल बढ़े जाने पर प्रकरण एलपीसी के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जावे।	
2.	4	120:2	मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री लक्ष्मीनारायण गोयल, एन.ओ. वेद प्रकाश, गौरी शंकर, लक्ष्मीनारायण गोयल को आवासीय ग्रुप हाउसिंग के	मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज के नाम से ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 76 से 83, 83/509, 88/1, 88/2, 81/532, 90/1, 79/530, 89/1, 90/531, 83/529, 84, 85/1, 88, 89 व 90 कुल किता 22 रकम 4.5974 हैं। में से सड़क व सुविधा क्षेत्र कम करते हुये 39141.14 वर्गमीटर भूमि का ग्रुप हाउसिंग पट्टा जारी

अधिकारी अनुमोदन (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आरक्षित 5 प्रतिशत 2060.47 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र दो सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।	किया गया है। निजी खातेदार द्वारा सुविधा क्षेत्र के 2060.47 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र को सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त द्वारा आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। मैसर्स उमा एन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि श्री आत्मा राम गुप्ता द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया गया कि एकल पट्टे के प्रकरणों में ली जाने वाली जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी लेने संबंधी एलपीसी की 108वीं बैठक में लिया गया निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि अभी हाल ही में दिनांक, 17.09.15 को जोन -n आवासीय आरक्षित दरों में संशोधन कर काफी वृद्धि कर दी गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित दरों के संबंध में गठित कमेटी द्वारा निजी खातेदारी योजनाओं में युप हाउसिंग के एकल पट्टों में आरक्षित सुविधा क्षेत्र के आवंटन हेतु दरों का निर्वारण किया जावे कि पूर्व निर्णयानुसार जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर ली जावे अथवा जोन की नवीन दर के आधार पर आवंटन किया जावे। प्रकरण दर निर्वारण के पश्चात पुनः प्रस्तुत किया जावे।
3.	14	120:3	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत कन्शेसनायर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा. लि. को wayside Amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार जोन-9 क्षेत्र में ग्राम रातल्या में चैनेज 31+500 पर 10025 वर्गमीटर भूमि अनुबन्ध की शर्तों अनुसार उपयोग हेतु 3 वर्ष की अनुज्ञा देने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा मूल एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कम्पनी, राज्य सरकार व जिविप्रा के मध्य हुये त्रिपक्षीय समझौता अनुसार लैण्ड पार्सल 28 वर्ष की लीज पर दिये जाने का उल्लेख/शर्त है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर त्रिपक्षीय समझौता अनुसार ग्राम रातल्या की 10025 वर्गमीटर भूमि 28 वर्ष की लीज पर दिये जाने की पुष्टि की गई।	
4.	12	120:4	श्री संजीव जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन, श्री वैभव जैन पुत्र श्री संजीव जैन द्वारा उनकी निजी खातेदारी योजना ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 353/3, 351/1, 352/1 कुल किता 3 कुल रकबा 11632.09 वर्गगज में स्थित सुविधा क्षेत्र 612.21 वर्गगज पार्किंग हेतु आवंटन करने बाबत।	श्री संजीव जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन, श्री वैभव जैन पुत्र श्री संजीव जैन द्वारा उनकी निजी खातेदारी योजना ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 353/3, 351/1, 351/1, 352/1 कुल किता 3 कुल रकबा 11632.09 वर्गगज में स्थित सुविधा क्षेत्र 612.21 वर्गगज पार्किंग हेतु आवंटन करने का निवेदन किया गया है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना में मूल पार्किंग को यथावत रखते हुये यह भूमि अतिरिक्त पार्किंग हेतु आवंटन की जा सकती है। किन्तु नगरीय विकास बोर्ड के पत्र नं. ८८/०६.१५ के दिन संख्या 1 में 2 हैक्टेयर से कम की योजना जो नई टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में 5 प्रतिशत के बराबर क्षेत्रफल स्वीकृत है, संबंधित विकासकर्ता को आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है। बिन्दु संख्या 3 में सिटी लेवल योजना क्षेत्र की 5 प्रतिशत भूमि न्यास के पक्ष में समर्पित कराई गई है का निधादन राजस्थान ईम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (नगरीय भूमि निधादन) नियम 1974 के अनुसार सिटी लेवल सुविधा के विकास के लिए किया जा सकता है। अतः सिटी लेवल सुविधा में किस-किस प्रकार के प्रकरण आते हैं व 2 हैक्टेयर से कम की निजी

(एक. वी. सो.)
उपपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	13ए	120:5	बस्सी न्यायालय भवन हेतु राजस्व ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी स्थित जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 67 कुल रकम 105-12 बीघा में से 30 बीघा भूमि आवंटन करने वाबत।
6.	13	120:6	मैसर्स बिल्डर्स एलायन्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत अम्बरीश तिवाड़ी को राजस्व ग्राम मोदूकाबास तहसील आमेर रिप्पर इडन गार्डन-ा आवासीय योजना में सुविधा क्षेत्र आवंटित करने वाबत।
7.	13	120:7	श्री कालीचरण मिश्रा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-1/30 जो कि काश्तकारों के कब्जे में होने के कारण विनियम में समान सडक पर समान क्षेत्रफल के 40 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने वाबत।
8.	13	120:8	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी-3/81, बी-3/89 व बी-3/90 में मौके पर क्षेत्रफल लड़ जाने के कारण बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन करने वाबत।

खातेदारी की अनुमोदित योजना के सुविधा क्षेत्र को विकासकर्ता को आवंटित की जाए अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन राज्य सरकार से प्राप्त कर पुनः प्रकरण एलपीसी में प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 9.4 के अनुसार विभागाध्यक्ष के माध्यम से नगरीय विकास विभाग को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

मैसर्स बिल्डर्स एलायन्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत अम्बरीश तिवाड़ी द्वारा राजस्व ग्राम मोदूकाबास तहसील आमेर स्थित इडन गार्डन-ा आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र 17508.48 वर्गमीटर को महाविद्यालय पर 4046.13 वर्गमीटर के नसिंग होम हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 10500/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। उपायुक्त द्वारा आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 में योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र को महाविद्यालय हेतु आवंटन का प्रावधान उल्लेखित नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया। अन्य सुविधा क्षेत्र की 4046.13 वर्गमीटर भूमि नसिंग होम हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

श्री कालीचरण मिश्रा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-1/30 का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का अधिकांश भाग मौके पर योजना से बाहर तथा खातेदारी भूमि में होने के कारण योजना में समान सडक पर समान क्षेत्रफल के 40 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। अतः समान सडक पर समान क्षेत्रफल के 40 वर्गमीटर के उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी-1/66 से बी-1/70 व बी-1/72 के विनियम हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व आवंटन के समान भाव पर समान चौडाई की रोड पर समीप स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी-1/69, बी-1/70 व बी-1/72 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनियम करने का निर्णय लिया गया।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी-3/89, बी-3/90 व बी-3/81 में बढ़े हुये क्षेत्रफल क्रमशः 6.25 वर्गमीटर, 19.50 वर्गमीटर व 18.50 वर्गमीटर भूमि के आवंटन के तंत्रज्ञ में उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पूरे ब्लॉक की रि-प्लानिंग करने के संबंध में निदेशक (आयोजना) की टिप्पणी चाही. गई थी। निदेशक (आयोजना) द्वारा उक्त ब्लॉक की रि-प्लानिंग संभव नहीं होना बताया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बी-3/89, बी-3/90 व बी-3/81 में बढ़े हुये क्षेत्रफल क्रमशः 6.25 वर्गमीटर, 18.50 वर्गमीटर व 18.50 वर्गमीटर को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अंत ० आयुक्त (ए.पी.सी.)
प्रपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

9.	13	120:9	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या डी-31 का आवंटित क्षेत्रफल 396 वर्गमीटर से 457.05 वर्गमीटर एवं भूखण्ड संख्या बी-144 का क्षेत्रफल 195 से 260.5 वर्गमीटर हो जाने के कारण विनिमय में समान क्षेत्रफल के भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्रीमति कस्तूरी देवी पत्नि श्री कमल सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या डी-31 क्षेत्रफल 396 वर्गमीटर व बी-144 क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त दोनों भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल क्रमशः 457.05 वर्गमीटर व 260.5 वर्गमीटर हो गया। प्रार्थी द्वारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल लेने से मना कर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड दिये जाने का अनुरोध किया है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या डी-31 व बी-144 के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट मय रिक्त भूखण्डों की सूची प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी-31 के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की रोड पर स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या ए-1 / डी-32 से ए-1 / डी-37 में से एक भूखण्ड व भूखण्ड संख्या बी-144 के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की रोड पर नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या ए-1 / 130 से ए-1 / 143 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	120:10	श्री कजोड़मल चौधरी को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-1 / 26 का भूखण्ड जो कि प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में उक्त भूखण्ड सीमाज्ञान के अनुसार गहराई में 8 मीटर के स्थान पर 3.50 मीटर होने के कारण एवं मौके पर निजी व्यक्ति द्वारा कम्पाउण्डवाल बनाने के कारण विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल का 40 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री कजोड़मल चौधरी को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-1 / 26 का आवंटन किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का उक्त भूखण्ड मौके रिपोर्ट के अनुसार व सीमाज्ञान के अनुसार गहराई में 8 मीटर के स्थान पर 3.50 मीटर होने के कारण एवं इसके बाद निजी व्यक्ति द्वारा कम्पाउण्डवाल बनाने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। अतः समान सड़क व समान क्षेत्रफल के 40 वर्गमीटर के उपलब्ध भूखण्ड संख्या ए-3 / 72 से ए-3 / 80 के विनिमय हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व में बी-ब्लॉक में आवंटन किया गया था। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर समान माप व समान चौडाई की रोड पर उसी ब्लॉक में समीप स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी-1 / 69, बी-1 / 70 व बी-1 / 72 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
11.	13	120:11	श्री हरबंस सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-3 / 70 का क्षेत्रफल बढ़ा जाने के कारण विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल के 125 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री हरबंस सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-3 / 70 का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर 53 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़ा जाने के कारण विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल के 125 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा समान सड़क व समान क्षेत्रफल के 125 वर्गमीटर के उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी-394, बी-3 / 106, बी-3 / 107, बी-3 / 113, बी-3 / 114, बी-3 / 210, बी-3 / 216, बी-3 / 219, बी-3 / 233 से बी-3 / 228 के विनिमय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर समान माप व समान चौडाई की रोड पर समीप स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी-3 / 106, बी-3 / 107, बी-3 / 113, बी-3 / 114 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
12.	15	120:12	श्री गीताराम मीणा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 115 के बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	श्री गीताराम मीणा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 115 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर आवंटित है। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 65 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ़े गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। अतः बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर व्यावसायिक

प्रान्त ० ग्राम्यकाल (एम.पी.सी.)
नियमपूर्व विकास प्राधिकरण, जम्मू

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. गुरुत्व अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियान्त्रिकी-द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी; जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
आन० श्राविका एल.पी.सी.)
अतिरिक्त कामुकत्वा (विकासी) , जयपुर

परिशिष्ट 'आ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 120वीं बैठक दिनांक 27.10.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री मेघराज सिंह रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री सतीश चन्द गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन-4	विशेष आमंत्रित
9.	श्रीमती आभा बेनीवाल, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन-13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन-14	विशेष आमंत्रित
14.	श्री भंवर सिंह सांदू, उपायुक्त जोन-14ए	विशेष आमंत्रित
15.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15	विशेष आमंत्रित
16.	श्री प्रभात गौस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित
17.	श्री मुकेश कुमार मीणा, तहसीलदार जोन-12	विशेष आमंत्रित
18.	श्री आत्मा राम गुप्ता, उमा एन्टरप्राइजेज	फरियादी